न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमां नम्बर :– 97 / 2010 निर्णय दिनांक :– 08.04.2019

बअनुवान :–

1. हीरादेवी पुत्री मांगूराम पत्नी मंगलाराम कुम्हार सा. टोडास हाल कुकनवाली।
2. चंचलदेवी पुत्री मांगूराम पत्नी द्वारकाप्रसाद कुम्हार सा. टोडास हाल रेनवाल।

.....वादीगण

बनाम

1. मूलाराम पुत्र सुरजाराम जाट सा. टोड़ास तह. नावां
2. चेताराम पुत्र सुरजाराम जाट सा. टोडास तह. नावां
3. पनालाल पुत्र सुरजाराम जाट सा. टोडास तह. नावां
4. मोहनीदेवी बेवा मांगूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
5. दानाराम पुत्र मांगूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
6. मदनलाल पुत्र मांगूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
7. मुनीदेवी पुत्री मांगूराम पत्नीी जीीवणराम कुम्हार सा. कुकनवाली
8. बीमलादेवी पुत्री मांगूराम पत्नी दौलतराम कुम्हार सा. जेवलिया का बास तह. डीडवाना
9. एकतोदवी पुत्री मांगूराम पत्नी सुवालाल कुम्हार सा. करधनी जयपुर
10. कमलादेवी पुत्री मांगूराम पत्नी गोपाल कुम्हार सा. किनसरियां तह. परबतसर
11. जीवणराम पुत्र नानूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
12. गिरधारीलाल पुत्र नानूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
13. छीगनलाल पुत्र नानूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
14. नाथीदेवी बेवा जालूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
15. भंवरलाल पुत्र जालूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
16. गोपालराम पुत्र जालूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
17. चुनीलाल पुत्र जालूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
18. ईशरराम पुत्र लादूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
19. सुजाराम पुत्र लादूराम कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
20. बृजमोहन पुत्र भंवरलाल कुम्हार सा. टोडास तह. नावां
21. मनीषकुमार पुत्र लालचंद जैन सा. टोडास तह. नावां
22. उप पंजीयक नावां
23. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नावां
24. मैनेजर जयपुर नागौर ग्रामीण बैंक शाखा अड़कसर

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

दावा बाबत :– खतोदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादीगण

श्री रामेश्वरलाल नेहर वकील प्रतिवादी 1 से 4

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण व प्रतिवादी 4 से 20 एक ही खानदान के सदस्य हैं ग्राम टोडास के गत खसरा नम्बर 75, 76,202,203 जिसके नवीन खसरा नम्बर 453, 455, 456, 457, 481, 482, 483 कुल रकबा 16.54 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उक्त सम्पूर्ण भूमि स्व. लादूराम के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि रही हैं लादूराम का स्वर्गवास होने पर उनके पुत्र नानूराम, जालूराम, मांगूराम ईशवरराम व सुजाराम के खातेदारी में जरिये उत्तराधिकार में रही हैं नानूराम के स्वर्गवास के बाद उनके हक हिस्से की भूमि पर उनके पुत्र जीवणराम, गिरधारीलाल, छिगनलाल को जरिये उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, जालूराम के स्वग्रवास के बाद उनके हिस्से की भूमि नाथीदेवी पत्नी व भंवरलाल, गोपालराम, चुनीलाल पुत्र के नाम खातेदारी दर्ज हुई मांगूराम के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि उनके वारिस मोहनीदेवी दानाराम, मदनलाल पुत्र एवं मुनीदेवी, हीरादेवी, बीमलादेवी, चंचलदेवी एकतादेवी व कमलादेवी के कब्जा काश्त में स्वतः ही हो गई वादीगण प्रत्येक का 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी 4 से 10 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा अपने जन्म से ही मांगूराम के जायज वारिसान काबिज हो गऐ उक्त भूमि में मांगूराम के 1/5 हिस्से की भूमि वादीगण व प्रतिवादी 4 से 10 संयुक्त काबिज काश्त हैं। मागूराम के पुत्र दानाराम ने खसरा नम्बर 453 में अपने हिस्से की भूमि काबैचान मनीष कुमार जैन को कर दिया हैं मनीष कुमार जैन से प्रतिवादीी बृजमोहन ने उक्त हिस्सा खरीद लिया हैं जिसका नामान्तकरण 764 दिनांक 05.08.2010 को हो चुका हैं तथा दानाराम ने खसरा नम्बर 456, 457, 482, 483 में से अपना हिस्सा प्रतिवादी गोपालराम को विक्रय कर दिया हैं जिसका नामान्तकरण 763 दिनांक 05.08.2010 को हो चुका हैं। जिससे इस भूमि में दानाराम का इस पैतृक भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा हैं। वादीगण व उनकी बहिने प्रतिवादी से 10 ने पैतृक भूमि में अपने अपने हक की भूमि का विभाजन करने बाबत प्रतिवादी 1 से 20 को कहां तो उनके द्वारा इंकार कर दिया वादीगण मांगूराम के वारिसान पुत्रीया होने से मांगूराम के हक हिस्से की भूमि में बाई बर्थ अधिकार हैं प्रतिवादी 1 से 3 ने वादीगण की पैतृक सम्पति से वंचित रखने के नियत से

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

जबरन बेदखल करने की धमकी दी जा रही हैं वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम टोडास की उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 453, 455, 456, 457, 481, 482, 483 कुल रकबा 16.54 हैक्टयर में वादीगण व प्रतिवादी 6 से 9 प्रत्येक को 1/45 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रत्येक की होल्डिंग अलग अलग कायम करने एवं प्रतिवादी 4 द्वारा प्रतिवादी 1 से 3 के पक्ष में किया गया बैचान 1572/2010 को वादीगण व प्रतिवादी 7 से 10 के हक हिस्से तक शुन्य घोषित किया जाकर वादीगण के प्रत्येक 1/45 हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 7, 8, 9, 15, 16 ने वादीगण के वाद को सही होना स्वीकार किया हैं तथा काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ अनुसार खातेदारी घोषणा का अलग अलग होल्डिंग कायम करने की इस्तदुआ की हैं, प्रतिवादी 4 ने भी जवाब पेश कर वादीगण के वाद की तायद की हैं। प्रतिवादी 1 से 3 ने जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुऐ निवेदन किया हैं कि मांगूराम का स्वर्गवास होने पर उनके हक हिस्से की भूमि पत्नी मोहनीदेवी, पुत्र दानाराम व मदनलाल काबिज खातेदार काश्तकार हुऐ हैं मांगूराम की पुत्रीया वादीगण व प्रतिवादी 7 से 10 अपने ससुराल निवास करती चली आ रही हैं जिनके हक व अधिकार उनके ससुराल में निहित हो, चुके हैं। विवादित भूमि स्व. मांगूराम के जीवनकाल में ही मौके पर बंटवारा होकर अन्य सह खातेदारो सहित सभी अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मांगूराम के पुत्र दानाराम ने अपना हिस्सा 2010 में ही बैचान करना वादीगण ने वर्णित किया हैं इससे स्पष्ट होता हैं कि वादीगण को दानाराम द्वारा भूमि बैचान करने की पूर्ण जानकारी थी परन्तु वादीगण व प्रतिवादी 7 से 10 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं होने से बैचान के सम्बन्ध में कोई उज्र एतराज नहीं किया था। मांगूराम के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तकरण प्रतिवादी 4 से 6 के नाम दर्ज रिकार्ड कियाि गया जो पूर्णत्या वैद्य हैं क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी 7 से 10 का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा वादीगण ने फौतगी नामान्तकरण को लेकर भी कभी कोई उज्र नहीं किया हैं जिससे स्पष्ट हैं कि वादीगण ने जानबुझकर झुठे तथ्यों पर आधारित वाद प्रस्तुत किया हैं जो खारिज योग्य हैं। प्रतिवादी 4 ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान दिनांक 13.09.2010 को उप पंजीयक कार्यालय नावा में उपस्थित होकर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर भौतिक रूप से जहां पर कब्जा सुपुर्द किया था वहां पर प्रतिवादी 1 से 3 काबिज काश्त हैं प्रतिवादी 1 से 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि कभी वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

की रही नहीं वादीगण की माता मोहनीदेवी स्वंय ने मौके पर प्रतिवादीगण को कब्जा सुपुर्द किया हैं जिससे वादीगण को बेदखल करने की धमकी देने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। प्रतिवादी 1 से 3 ने जवाब के साथ काउन्टर क्लेम पेश कर अपनी खरीद सुदा कब्जे काश्त की भूमि में वादीगा दखलन्दाजी नहीं करने इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया हैं। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षी कार्यवाही की गई है। तत्पश्चात वाद में दिनांक 27.12.2017 को निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1– आया वादीगण वाद में वर्णित खसरान की 16.64 हैक्टयर भूमि में वादीगण प्रत्येक 1/45 हिस्से की भूमि की खातेदारी पाने के अधिकारी है। .....वादीगण

2– आया वादीगण प्रतिवादी 4 द्वारा तकमील करवाया गया विक्रय पत्र दिनांक 13.09.2010 को शून्य घोषित करवाने के अधिकारी है। .....वादीगण

3– आया वादीगण वादीगण के प्रत्येक 1/45 हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर अलग होल्डिंग कायम करवाने के अधिकारी है। .....वादीगण

4– आया प्रतिवादी 1 से 3 उक्त आराजीयत में मोहनीदेवी का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया हैं जिसमें दखलन्दाजी नहीं करने हेतु वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। .....प्रतिवादीगण

तनकीयात कायम होने के बाद साक्ष्य वादी हेतु कई बार समय दिया गया तत्पश्चात दोनों ही पक्षों द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहाऐ जाने पर दिनांक 30.01.2019 को साक्ष्य वादी व साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस वाद में दोनों ही पक्षों द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की गई हैं, न ही वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा अपने दावें प्रतिदावें के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किऐ हैं उनके प्रदर्श करवाऐ हैं। जिससे इस प्रकरण में प्रत्येक तनकी का विवेचन कर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण यह वाद विवादित भूमि में अपने पैतृक अधिकारो को लेकर खातेदारी घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया हैं जिसके आधार पर तनकी संख्या 1 से 3 तय की गई हैं जिनकों साबित करने का भार वादीगण पर था, लेकिन वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किऐ हैं उन्हें प्रदर्शित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

करवाया गया हैं। जिससे वादीगण द्वारा सिविल प्रंक्रिया संहिता 1908 के आदेश 13 नियम 3, 4 की पालना इस वाद में नहीं की हैं, वादीगण को वाद में पर्याप्त समय दिया जाने के बावजूद साक्ष्य पेश कर वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजो का पृष्ठांकित करवाने में असमर्थ रहा हैं, जिससे वादीगण द्वारा वाद में प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज वाद के समर्थन में साक्ष्य के रूप में नहीं पढे जा सकते हैं। ऑडर 13 रूल 3, 4 सी.पी.सी. में प्रतिपादित नियमों के तहत Endorsements on documents admitted in evidence करवाया जाना आवश्यक हैं जिसमें वादीगण असफल रहे हैं। न्यायालय द्वारा तय विवाद्यकों की विरचना तथी की जा सकती हैं जब पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से उपस्थित किन्हीं व्यक्तियों द्वारा या ऐसे पक्षकारों के प्लीडर द्वारा शथप पत्र से अभिकथन किया गया हो, अभिवचनों या वाद में परिदत्त परिप्रश्नों के उत्तरों में किए गए अभिकथनों से एवं दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा पेश की गई दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु से ही विवाद्यकों का समर्थन किया जा सकता हैं, जिसमें वादीगण असफल रहे हैं प्रतिवादीगण ने भी अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की हैं। जिससे प्रतिवादीगण द्वारा तनकी संख्या 4 के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज के अभाव में साबित करने में असफल रहा हैं। जिससे वादीगण अपना वाद व प्रतिवादी 1 से 3 अपना काउन्टर क्लेम साबित करने में असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद व प्रतिवादी 1 से 3 का काउन्टर क्लेम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)